न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ (झुन्झुनू)

पीठासीन अधिकारी :: मुरारी लाल शर्मा

आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या 239/2019

1. निवास उर्फ रामनिवास पुत्र भागीरथ
2. सरबतीदेवी पत्नी भागीरथ जाति माली निवासीगण ढाणी कानाका वाली तन नवलगढ तहसील नवलगढ

—आवेदकगण

बनाम

1. छोटूराम सैनीपुत्र चन्द्राराम सैनी
2. गुलाब सैनी पुत्र छोटूराम सैनी
3. धर्मेन्द्र सैनी पुत्र गुलाब सैनी
4. जितेन्द्र सैनी पुत्र गुलास सैनी जाति माली निवासीगण ढाणी काना का वाली तन नवलगढ जिला झुन्झुनू

—अनावेदकगण

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा

ऐडवोकेट आवेदक :— श्री. विप्पल पंडित

ऐडवोकेट अना0 :— —

आदेश

दिनांक 06.08.2019

आवेदक द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि एक भागीरथ पुत्र सुरजानाम का व्यक्ति हुआ जो फौत हो चुका है। आवेदकगण भागीरथ पुत्र सुरजा के वारिसान है भागीरथ पुत्र सुरजा का सजरा के अनुसार भागीरथ के दो पुत्र संतान विद्याधर, निवास उर्फ रामनिवास आवेदक नं. 1 पैदा हुआ तथा एक पत्नी सरबतीदेवी आवेदिका नं. 2 उतराधिकारी पैदा हुये। विद्याधर नाऔलाद अविवाहित फौत हो चुका है, जिसने अपने जीवनकाल में ना तो किसी को उतक पुत्र ग्रहण किया है ना ही अपनी सम्पति की र्को वसीयत निष्पादित की है अर्थात विर्ससीयत ही फौत हो चुका है। इसलिये हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के अनुसार मृतक के हिस्से की प्रथम उतराधिकारी उसकी माता आवेदिका नं. 2 है। राजस्व ग्राम नवलडी में खाता सं0 106 की भूमि ख.न. 1467 रकबा 1.28 है0 स्थित है, जो आवेदकगण अनावेदक नं 1 व प्रतिवादी नं. 5 की शामलाती खातेदारी कब्जे काश्त की अविभाजित भूमि है जिसके संबंध में आवेदकगण उक्त वाद प्रार्थना पत्र पेश कर रहे है। जिसे आगे वाद पत्र, प्रार्थना पत्र में विवादित भूमि के नाम से संबोधित किया गया है। उक्त भूमि में 1/2 हिस्सा अनोवदक नं. 1 का है तथा 1/2 हिस्सा आवेदकगण के पिता व पति भागीरथ पुत्र सुरजा की खातेदारी काश्तकारी की भूमि थी। भागीरथ के फौत होने पर उसकी भूमि का इन्तकाल उसके दो पुत्रों आवेदक व विद्याधर के नाम तथा उसकी बेवा आवेदिका नरं. 2 के नाम से दर्ज रिकार्ड हुआ। इस प्रकार विवादित भूमि के 1/2 हिस्सा अनावेदक नं. 1 का 1/6 हिस्सा, आवेदक नं. 1 का 1/6 हिस्सा आवेदिका नं.2 का 1/6 हिस्सा भागीरथ पुत्र विद्याधर के नाम से दर्ज रिकार्ड चला आ रहा है। आवेदिका नं. 2 ने अपने 1/6 हिस्सा में 0.16 है0 अर्थात हिस्सा 1/8 हिस्सा प्रतिवादी नं. 5 को जरिये रजि0 विक्रय पत्र बेच दिया है जिसकी खतोदारी भी प्रतिवादी नं.2 के नाम दर्ज हो चुकी है। यहां यहकभी दर्ज किया जा रहा है कि आवेदकगण के भाई व पुत्र विद्याधर की मृत्यु हो चुकी है जो नाऔलाद अविवाहित फौत हो चुका है जिसने अपने जीवनकला मं ना तो किसी र्को दतक ग्रहण किया है तथा ना ही अपने नाम से दर्ज 1/6 हिस्से की भूमि बाबत अपने जीवनकाल में किसी के नाम वसीयत अथविा हस्तानान्तरण विलेख निष्पादित किया है अर्थात 1/6 हिस्सा खातेदार विद्याधर पुत्र भागीरथ निर्वसीयत फौत हो चुका ह। हिन्दू उतराधिकारी अधिनियम के प्रावधानानुसार अपने मृत पुत्र के 1/6 हिस्से की प्रथम

Scanned by CamScanner

मुरारी की उतराधिकारी आवेदिका नं. 2 है इसलिये आवेदिका नं . 2 विद्याधर की हिससे की भूमि का सहखातेदार काश्तकार घोषित किया जाना न्यायोचित है इसलिये इसलिये विवादित भूमि में आवेदक नं. 1 को 1/6 हिस्से का,ख आवेदिका नं. 2 को 1/24+1/6 हिस्से कुल 5/24 हिस्से का प्रतिवादी नं. 5 को 1/8 हिस्से का तथा अनावेदक नं. 1 को 1/2 हिस्से का खतोदार घोषित किया जावे तथा घोषित खातेदारी क अनुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे, जिसके लिये वाद बाबत घोषणार्थ व दुरूस्ती रिकार्ड का पेश करना आवश्यक हुआ। अनावेदकगण विवादित भूमि के रिकार्डेड खातेदार तथा अपने हिस्से की भूमि पर काबिज है इसलिये आवेदकगण का प्रथम दृष्टया मामला है, तथा सुविधा का संतुलन भी आवेदकगण को उसके हक अधिकार की भूमि से नाजायज रूप से बेदखल कर देंगे भूमि को खुर्द बुर्द कर देंगे हरे पेड काटकर विक्रय कर देंगे। आवेदकगण को उसके हिस्से की भूमि को काश्त नही करने देंगे जिसका खामियाजा किसी भी हालत में संभव नही होगा।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि ताफैसल दावा अनावेदकगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि राजस्व ग्राम नवलडी की भूमि ख.न. 1467 रकबा 1.28 है0 विवादित भूमि का जब तक विधिवत विभाजन नही हो जाता है तब तक अनावेदकगण नं. 1 लगायत 4 को आवेदकगण के कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की मदालखत पेदा नही करे आवेदकगण को उसके हिस्से की भूमि को शांति से काश्त करने देवे भूमि का खुर्द बुर्द नही करि भूमि से हरे पेड काटकर विक्रय नही करे आवेदकगण को ताकत व लठ के बल पर बेदखल करके उनके हिस्से की भूमि पर कब्जा नही करि किसी प्रकार की विधि विरूद्ध कार्यवाही ना तो स्वयं करे ना ही अपने किसी अन्य से करावें मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज पंजिका किया जाकर तलबी अनावेदकगण की गई। अनावेदक नं. 1 लगायत 4 बावजूद नोटिस तामील के उपस्थित नही होने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अतः बहस वकल आवेदकगण सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा धारा 212 रा.का.अधि. के निस्तारण के लिये न्यायालय को तीन बिन्दुओं जिनमे प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति देखनी होती हैं।

1. प्रथम दृष्टया मामलाः— नकल जमाबंदी ग्राम नवलडी संवत 2069—72 के अनुसार भूमि ख.न. 1467 रकबा 1.28 है0 खातेदारी छोटूराम सेनी पुत्र चन्द्रारा जाति हि0 1/2 विद्याधर निवास पुत्र भागीरथ सरबती पत्नी स्व0 भागीरथ हि0 1/2 जाति माली सा.देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है जिसके आगे नोट अंकित किया गया है कि नामा0 सं0 1550 नि.दि. 20.11.2014 के अनुसार बेचान ख.न. 1467 में विद्याधर निवास पुत्र भागीरथ सरबती पत्नी स्व0 भागीरथ हि0 1/2 के स्थान पर शैलेश कुमार सैनी पुत्र विश्वनाथ सैनी हि0 0.16 है0 जाति माली निवासी ग्राम काना का वाली ढाणी तन ढाणिया पंचायत नवलगढ तह0 नवलगढ स्वीकार शेष विद्याधर निवास पुत्र भागीरथ सरबती पत्नी स्व0 भागीरथ हि0 0.48 है0 एवं शेष अंकन बदस्तूर अंकित किया गया है। इस प्रकार आवेदकगण वादग्रस्त आराजी के सहखातेदार काश्तकार होने से प्रथम दृष्टया मामला आवेदक का बनता है।
2. सुविधा का सन्तुल व अपूर्णीय क्षति :— आवेदक वादग्रस्त आराजी का सहखातेदार होने से सुविधा का संतुलन होने से आवेदक की अपूर्णीय क्षति होने की संभावना है।

इसप्रकार उक्त तीनों बिन्दुओं के आधार पर आवेदक का प्रार्थना पत्र न्यायोचित होने के कारण प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है। अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 31.12.2015 को कनफर्म की जाती है। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफतर हो तथा मूल वाद के सलग्न रहे। निर्णय आज दिनांक 06.08.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुरारी लाल शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ

Scanned by CamScanner